नेतरहाट आवासीय विद्यालय

नेतरहाट

पो०— नेतरहाट, जिला — लातेहार

(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, Ministry of HRD, Govt. of Jharkhand)

संख्या —211 दिनांक — 1.6.16

निविदा नियम

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियोंके लिए एवं अन्य उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य सामग्रियों एवं विविध सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय , नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1. मुहरबंद निविदाएं हाथों हाथ , साधरण डाक, पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 15.06.2016 को 12.30 बजे अपराहन तक प्राचार्य कार्यालय में स्वीकार की जाएगी ।निविदाऐ तीन भागों में विभाजित होगी एवं प्रत्येक भाग के लिए अलग— अलग लिफाफा होगा। तीनों लिफाफे अंततः एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद होगा जिसमें पते के रूप मे प्राचार्य का नाम लिखा होगा।

क) टेक्नीकल बीड में लगने वाले कागजात निविदा शर्त के कंडिका (1)में उल्लेखित है। (लिफाफा 1)

ख) फिनांसियल बीड— फिनांसियल बीड एक अलग लिफाफे में सील होगा ।बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार दर अंकित कर एक अलग लिफाफे में सील करना आवश्यक होगा। (लिफाफा 2)

ग) अग्रधन — अग्रधन की राशि बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुरूप होगी ।जिसे अलग—अलग लिफाफे में देना होगा। (लिफाफा 3)

2. **अग्रधन एवं निविदा शुल्क :—**

निविदा शुल्क — सार्थ के द्वारा निविदा शुल्क के रूप में प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए रूपया 500/—राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, लोहरदगा में भुगतेय होगा, लेखाशाखा में जमाकर बिल ऑफ क्वॅांटिटी भंडार से प्राप्त की जा सकती है।

अग्रधन — अग्रधन के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक डिमांड ड्राफ्ट नेतरहाट विद्यालय समिति के नाम देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट में भुगतेय होगा । अग्रधन की राशि प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी मे लिखी हुई प्राप्त होगी ।

3. निविदा प्रसारित करने की तिथि 02.06.2016 है,जो विद्यालय वेबसाईट www. netarhatvidyalaya.com में उपलब्ध है । निविदा हाथों हाथ ,साधारण डाक, निबंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 15.06.2016 के अपराहन 12.30 बजे तक ली जाएगी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि के सम्मुख दिनांक 15.06.16 को अपराहन् 1:00 बजे खोली जाएगी । टेक्नीकल बीड में सफल पाये गए आपूर्तिकर्ताओं के ही फिनांसियल बीड खोले जाएगे ।
4. यह निविदा जुलाई 2016 से जून 2017 तक वैध रहेगी।
5. निविदा संबंधित जानकारी निम्न पदाधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है :—

प्राचार्य— श्री विंध्याचल पाण्डेय
फोन नं. — 06569—277644
कोषपाल—श्री रौषन कुमार बक्षी
फोन नं. — 9771521409

(विंध्याचल पाण्डेय)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट
निविदा शर्त

1. **टेक्नीकल बिड** में लगने वाले दस्तावेज निम्न होगे।
   (A) सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्त्ता का पूरा नाम एवं पता
   (B) व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र
   (C) JVAT –2005 के निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र
   (D) आयकर प्रमाण प़त्र
   (E) बिक्री कर एवं आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र । स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अद्यतन प्रमाण पत्र अथवा राशि जमा की जाने का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। **कागजात संलग्न नहीं रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।**
   (F) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट के नाम देय होगी। (कोड संख्या के अनुसार)
   (G) अनुभव प्रमाण पत्र
   (H) कयादेष की छाया प्रति

   1. प्रत्येक कोड हेतु सार्थो का उसी सामग्री विषेष में सक्षमविभाग से निबंधन/पंजीयन आवष्यक होगा ।(छाया प्रति संलग्न करें)
   2. सार्थो को अनुभव हेतु कोड एवं सामग्री विषेष में उन्हे पूर्व में प्राप्त अनुभव प्रमाण/कयादेष की छाया प्रति संलग्न करनी आवष्यक होगी।
2. .निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पता, निविदा संख्या एवं दिनांक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं जिन सामग्रियों हेतु निविदा दी गई हो अंकित होना आवश्यक होगा।
3. सार्थ यदि आदेशित सामग्री क्रयादेश में निर्धारित तिथि, समय एवं राशि पर आपूर्ति नहीं करते हैं तो विद्यालय द्वारा एक अनुस्मार दिया जाएगा ।
4. आपूर्ति फिर भी न करने पर विद्यालय द्वारा निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :–
   (i) आदेशित सामग्रियों का क्रय विद्यालय द्वारा खुले बाजार से कर लिया जायेगा एवं मूल्य की मान्यता होगी। सार्थ द्वारा उठायी गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।
   (ii) आदेशित राशि सार्थ के दूसरे विपत्र से काट ली जायेगी।
   (iii) ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
   (iv) संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालय की निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
   (v) अग्रधन/जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
   (vi) ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायगा।
5. निविदा खुलने वाली तिथि में सार्थों को नमूनों के साथ आना होगा।सफल सार्थो को आदेशोंपरांत आपूर्ति के वक्त,मिलान के समय नमूनों को लाना आवश्यक होगा । नमूनों को मिलान आपूर्ति की गई सामग्रियों से किया जाएगा मिलान के वक्त क्रय समिति की स्वीकृति के पश्चात ही सामग्रियॉ स्वीकार की जाएगी ।
6. बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखित बान्ड/क्वालिटी के अनुसार ही सामग्रियों का दर एवं आपूर्तियॉ मान्य होगें ।
7. सामग्रियों का दर अंकित मूल्य/एम.आर.पी से ज्यादा मान्य नही होगा ।अंकित मूल्य/एम.आर.पी भी हस्तलिखित न हो एवं कम्पनी द्वारा लिखित हो । दरों के अंकन में किसी भी प्रकार के संदेह होने पर सम्बंधित आपूर्तिकर्ता पर प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी ।
8. आपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा कुछ भी समय दिया जा सकता है ,जिसे सफल आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा ।आदेशित समयावधि में आपूर्ति आवश्यक होगी ।
9. प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम भुगतान योग्य राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अग्रधन राशि के रूप में जमा करेंगे।
10. बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लेखित राशि अग्रधन रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा ।
11. सरकारी प्रतिष्ठानो को अग्रधन की राशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी ।
12. सभी सामग्रियों की आपूर्ति का दर एफ.ओ.आर. नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा ।
13. निविदा में उल्लेखित सामान की मात्रा एवं अवधि घटायी बढायी जा सकती है । यह आवश्यक नही की सबसे कम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जाय। यदि कम दर वाली निविदा स्वीकार नही की जाती है तो इसका कारण देना आवयश्क नहीं होगा । चयनित सामग्री में अंकित मूल्य पर वार्ता (निगोसियेशन)किया जा सकता है ।
14. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूने/ब्रान्ड के अनुसार ही ली जाएगी।ब्रान्ड स्पष्ट न करने पर नमूना के बिना रेट पर विचार नही होगा ।
15. प्रत्येक निविदा में प्रत्येक सामग्रियों का दर अंक एवं शब्दों में देना आवश्यक है ।

16. दाम के साथ संबंधित कम्पनी/मेक का भी उल्लेख रहना आवश्यक है ।
17. विलम्ब से प्राप्त निविदा या अग्रधन के बिना निविदा स्वीकार नही किया जाएगा ।
18. निविदा जमा करने के उपरान्त आंशिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी ।
19. देय बिल में आरोपित JVAT की राशि जमा संबंधी प्रमाण पत्र न होने पर विपत्र में दर्शित बिक्रीकर JVAT की राशि में से अग्रिम बिक्रीकर 4% काट ली जायेगी।
20. आयकर अधिनियम1961 के नियमानुसार विपत्र की राशि में से TDS की राशि की कटौती की जायेगी।
21. दिये गए आदेश से अधिक मात्रा की आपूर्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नही की जाएगी ।
22. चावल की आपूर्ति जूट बोरे में ही ली जायेगी । सार्थ द्वारा जूट बोरे में आपूर्ति नहीं करने पर आपके विपत्र से 10% की राशि दंड स्वरूप काट ली जायेगी ।
23. प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप में मान्य होगा ।

(विंध्याचल पाण्डेय)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।